कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी–2
दूरभाष : 0542–2222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi
Tel. No. :0542- 2222689

पत्रांक :कु0स0–2 B स0अ0/33449/विविध–आंतरिक/2025 दिनांक 05 दिसम्बर, 2025.

सेवा में,
प्रबन्धक/प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
वाराणसी एवं चंदौली जनपद,
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी।

विषय– **मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित Criminal Appeal No. 1425/2025 अमित कुमार बनाम भारत सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24 मार्च, 2025 के अनुपालन में गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–2577/सत्तर–3–2025–70–3005 (001)/2/2025 दिनांक 04 दिसम्बर, 2025 के क्रम में प्रदेश के समस्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा https://ntf.education.gov.in वेबसाइट/पोर्टल पर सर्वेक्षण प्रपत्र भरते हुए उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) में अधोलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए सूचना शासन को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश प्रदान किया गया है।

1. उच्च शिक्षण संस्थानों में AISHE लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके सर्वेक्षण फार्म को तत्काल **दिनांक 06.12.2025 तक दोपहर 2.00 बजे** तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
2. शैक्षणिक संस्थानों द्वारा एन0टी0एफ0 की मानसिक स्वास्थ्य की वेबसाइट का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त के क्रम में कृपया अपने महाविद्यालय की सूचना के साथ ही महाविद्यालय के अध्यापकों एवं छात्रों द्वारा भी उक्त पोर्टल पर सर्वेक्षण प्रपत्र पूरित करने की यथाशीघ्र अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए सर्वेक्षण फार्म पूरित करने की सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

website- https://ntf.education.gov.in/

भवदीय,
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. डॉ0 मुकेश पंत–मनोविज्ञान विभाग, म0गां0काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
3. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और आत्महत्याओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्य बल

Hindi

प्रतिभागियों के लिए जानकारी (ऑनलाइन फैकल्टी सर्वेक्षण)

हम उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और आत्महत्याओं की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कार्य बल के सदस्य हैं। हमें इन जटिल मुद्दों को समझने, मौजूदा नीतियों और ढांचे का विश्लेषण करने और छात्र मानसिक स्वास्थ्य और भलाई को समर्थन देने के लिए व्यापक उपायों की सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

यह अध्ययन किस बारे में है?

यह अध्ययन भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) में छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती चिंताओं को संबोधित करने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य एक राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा है। 24 मार्च, 2025 को अपने निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक कॉलेजों सहित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में छात्रों के बीच आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने उन कारणों की जांच, संस्थागत और प्रणालीगत विफलताओं का मूल्यांकन और आत्महत्या की रोकथाम तथा मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए ठोस कदम सुझाने हेतु एक राष्ट्रीय कार्य बल का गठन किया। इस कार्य बल में मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून और सामाजिक विज्ञान के विशेषज्ञ शामिल हैं।

कार्य बल के जनादेश का एक मुख्य भाग विभिन्न हितधारकों जैसे छात्रों, शिक्षकों, माता-पिता, मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, संस्थानों के प्रशासनिक प्रमुखों और अन्य से परामर्श करना है ताकि छात्र संकट और आत्महत्याओं में योगदान देने वाले सामाजिक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक और प्रणालीगत कारकों को समझा जा सके। यह प्रयास उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और भलाई को बेहतर बनाने के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशों तक पहुंचने में मदद करेगा, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

उपरोक्त संदर्भ में यह सर्वेक्षण फैकल्टी सदस्यों के दृष्टिकोण को समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कॉलेजों/विश्वविद्यालयों या अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यरत हैं। यह सर्वेक्षण छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और उच्च शिक्षा के दौरान आने वाली चुनौतियों को समझने का प्रयास करता है। यह सर्वेक्षण आपको अपने विचार, अवलोकन, परिसर के वातावरण, छात्रों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों के स्रोत, वे किस प्रकार का समर्थन प्राप्त करते हैं और आत्महत्या की रोकथाम व छात्र समर्थन प्रणालियों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर सुझाव देने का अवसर प्रदान करता है।

मुझे आमंत्रित क्यों किया गया है?

आपको आमंत्रित किया गया है क्योंकि आप एक उच्च शिक्षा संस्थान में कार्यरत फैकल्टी सदस्य हैं। आपकी प्रतिक्रिया कार्य बल को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और भलाई, संबंधित कारकों और समर्थन प्रणालियों को बेहतर बनाने के सुझावों के बारे में फैकल्टी के दृष्टिकोण को समझने में मदद करेगी।

क्या मुझे भाग लेना आवश्यक है?

इस अध्ययन में भाग लेना पूरी तरह स्वैच्छिक है। इसमें कोई बाध्यता नहीं है, और आप किसी भी समय भाग लेने से मना कर सकते हैं या अपना नाम वापस ले सकते हैं, इसके कोई दुष्परिणाम नहीं होंगे।

अगर मैं इस अध्ययन में भाग लूं तो मेरे साथ क्या होगा?

आपको इस सर्वेक्षण में कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये प्रश्न आपके संस्थान के प्रकार, परिसर के वातावरण पर आपकी राय, छात्रों की समस्याओं और अनुभवों पर आपकी टिप्पणियों, विविध पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए समर्थन, फैकल्टी द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और समर्थन प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए आपके सुझावों से संबंधित होंगे।

इसमें कितना समय लगेगा?

इस सर्वेक्षण को पूरा करने में लगभग 30 मिनट लग सकते हैं।

अगर मैं इस अध्ययन में भाग लूं तो जोखिम क्या हैं?

इस सर्वेक्षण में भाग लेने से बहुत कम जोखिम हैं। कुछ प्रश्न संवेदनशील या भावनात्मक हो सकते हैं, विशेष रूप से वे जो आपकी अपनी पीड़ा से संबंधित हों। हालांकि, यह असुविधा आमतौर पर अस्थायी होती है। आप चाहें तो खुले-आख्यान वाले प्रश्नों का उत्तर देने से बच सकते हैं।

इस अध्ययन में भाग लेने के लाभ और लागत क्या हैं?

इसमें भाग लेने के लिए कोई वित्तीय लागत या लाभ नहीं है। हालांकि, आपकी भागीदारी उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के लिए बेहतर मानसिक स्वास्थ्य पहलों और नीतियों के विकास में मदद करेगी।

मेरे व्यक्तिगत डेटा का क्या होगा?

इस सर्वेक्षण में आपके नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर या संस्थान के नाम जैसी कोई व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी एकत्र नहीं की जा रही है। सभी प्रतिक्रियाएं पूरी तरह गोपनीय रखी जाएंगी। डेटा को राष्ट्रीय कार्य बल के लिए समर्पित एक सर्वर में सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जाएगा, जिसे भारत सरकार के नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारा बनाए रखा जाएगा और केवल अधिकृत कार्य बल सदस्यों को लॉगिन तंत्र के माध्यम से डेटा तक पहुंच प्राप्त होगी। इस डेटा का उपयोग केवल कार्य बल के उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। अध्ययन के निष्कर्ष किसी भी प्रतिभागी की व्यक्तिगत जानकारी के बिना प्रस्तुत किए जाएंगे।

अगर मैं भाग नहीं लेना चाहता या बाद में नाम वापस लेना चाहता हूं तो क्या होगा?

आप किसी भी समय बिना कोई कारण बताए सर्वेक्षण से भाग लेने से मना कर सकते हैं या अपना नाम वापस ले सकते हैं।

इस अध्ययन का आयोजन कौन कर रहा है?

यह अध्ययन राष्ट्रीय कार्य बल द्वारा किए जा रहे एक सहयोगात्मक प्रयास का हिस्सा है।

इस अध्ययन की समीक्षा किसने की है?

इस अध्ययन की समीक्षा और अनुमोदन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज (NIMHANS), बेंगलुरु की संस्थागत आचार समिति द्वारा की गई है।

टास्क फोर्स की घोषणा

आपकी भागीदारी स्वैच्छिक है। सभी डेटा गोपनीय रहेगा और इसका उपयोग केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाएगा।

सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए सहमति

कृपया इस प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपनी सहमति घोषित करें। कृपया नीचे टिक करें* (अनिवार्य):

□ मैं मानता/मानती हूँ कि मैंने सर्वेक्षण के उद्देश्य के बारे में ऊपर दी गई जानकारी को पढ़ और समझ लिया है।

□ मैं समझता/समझती हूँ कि मेरी भागीदारी स्वैच्छिक है और मैं सर्वेक्षण के दौरान किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इसे छोडने के लिए स्वतंत्र हूँ।

□ मैं समझता/ समझती हूँ कि इस सर्वेक्षण का उद्देश्य विचार और सुझाव इकट्ठे करना है, और यह किसी व्यक्ति की शिकायत को हल करने के लिए नहीं है.

□ मैं इस सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए सहमत हूँ

सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए सहमति

कृपया इस प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपनी सहमति घोषित करें। कृपया नीचे टिक करें* (अनिवार्य):

- [x] मैं मानता/मानती हूँ कि मैंने सर्वेक्षण के उद्देश्य के बारे में ऊपर दी गई जानकारी को पढ़ और समझ लिया है।
- [x] मैं समझता/समझती हूँ कि मेरी भागीदारी स्वैच्छिक है और मैं सर्वेक्षण के दौरान किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इसे छोडने के लिए स्वतंत्र हूँ।
- [x] मैं समझता/ समझती हूँ कि इस सर्वेक्षण का उद्देश्य विचार और सुझाव इकट्ठे करना है, और यह किसी व्यक्ति की शिकायत को हल करने के लिए नहीं है.
- [x] मैं इस सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए सहमत हूँ

क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? (●) हाँ ( ) नहीं

कैप्चा * | 11 | 11FGCD

***अगर आप पहली बार सर्वेक्षण भर रहे हैं, तो '*नया सर्वेक्षण फ़ॉर्म शुरू करें*' बटन पर क्लिक करें।**

***अगर आपने पहले से शुरू किया है और आपके पास सर्वेक्षण संख्या है, तो '*सर्वेक्षण संख्या के साथ जारी रखें*' बटन पर क्लिक करें।**

[नया सर्वेक्षण फॉर्म शुरू करें] [सर्वेक्षण संख्या के साथ जारी रखें]

संकाय (फैकल्टी) सर्वेक्षण

जानकारी एवं निर्देश:

यह सर्वेक्षण उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों के दृष्टिकोण और अनुभवों को एकत्र करने हेतु तैयार किया गया है। यह छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त नेशनल टास्क फोर्स द्वारा किए जा रहे काम का हिस्सा है। यह गुमनाम (एनोनिमस) सर्वेक्षण है-किसी व्यक्तिगत पहचान वाली जानकारी एकत्र नहीं की जा रही है। हम आपकी ईमानदार प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं।

यह सर्वेक्षण केवल आपके दृष्टिकोण और सुझावों को एकत्र करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। किसी भी व्यक्तिगत शिकायत को सुलझाना इस टास्क फोर्स के कार्यक्षेत्र में नहीं आता।

इस सर्वेक्षण को पूरा करने में लगभग **15 से 20 मिनट** का समय लगेगा। कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त समय हो, तभी सर्वेक्षण शुरू करें। हर अनुभाग/ खंड में आपके उत्तर सुरक्षित हो जाते हैं। यदि आपको तकनीकी समस्या आती है या आपको सर्वेक्षण बाद में पूरा करना हो, तो कृपया सेक्शन 1 पूरा करने के बाद स्क्रीन पर दिखाई देने वाला यूनिक रैंडम सर्वे नंबर सुरक्षित रखें और उसी का उपयोग करके वापस सर्वे में प्रवेश करें।

[*] चिन्हित प्रश्न अनिवार्य हैं।

खंड I | खंड II | खंड III | खंड IV | खंड V

खंड I: बुनियादी जानकारी

1. आप किस प्रकार के संस्थान में कार्यरत हैं?*

[केवल एक विकल्प चुनें]

○ केंद्रीय विश्वविद्यालय
○ राज्य सरकारी विश्वविद्यालय
○ निजी विश्वविद्यालय
○ राष्ट्रीय संस्थान
○ अन्य

2. पदनाम*

[ ]

3. शिक्षक के रूप में कुल अनुभव की अवधि*

[ ]

4. आप किस रूप में कार्यरत हैं?*

○ स्थायी शिक्षक
○ अनुबंधित (कॉन्ट्रैक्ट) शिक्षक
○ विज़िटिंग शिक्षक

वर्तमान संस्थान में शिक्षक के रूप में सेवा की अवधि (स्थायी/अनुबंधित/विज़िटिंग)*

[ ]

5. जेंडर/लिंग *

○ पुरुष
○ महिला
○ ट्रांसजेंडर व्यक्ति
○ गैर-बाइनरी
○ नहीं बताना चाहते

6. श्रेणी*

○ सामान्य
○ आरक्षित

7. सामाजिक समूह*

○ अनुसूचित जाति
○ अनुसूचित जनजाति
○ अन्य पिछड़ा वर्ग
○ उपरोक्त में से कोई नहीं

8. धर्म*

○ हिंदू
○ ईसाई
○ मुसलमान
○ सिख
○ बौद्ध
○ जैन
○ पारसी
○ अन्य
○ नहीं बताना चाहते

9. दिव्यांगता की स्थिति*

○ हाँ
○ नहीं

10. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिसमें संकाय के रूप में सेवा कर रहे हैं*

11. उच्चतम शैक्षणिक योग्यता*

[अधिकतम 10 शब्द]

12. क्या आप अपनी संस्था में किसी प्रकोष्ठ (Cell) के प्रभारी हैं?*

○ हाँ
○ नहीं

Next

Faculty Survey

आपका सर्वे नंबर है: 22743392

नोट: यदि आप कुछ समय के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं और बाद में सर्वेक्षण पर वापस आना चाहते हैं, तो कृपया इस सर्वेक्षण संख्या को याद रखें।

OK

खंड I | खंड II | खंड III | खंड IV | खंड V | खंड VI

खंड II: छात्रों की सामंजस्य (एडजस्टमेंट) संबंधी कठिनाइयों के बारे में आपके विचार

13. आपके अनुमान के अनुसार, आपके परिसर (कैंपस) में लगभग कितने प्रतिशत छात्र सामंजस्य (एडजस्टमेंट) से जुड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं?*

30 %

14. आपके अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-से प्रमुख कारण छात्रों के सामंजस्य (एडजस्टमेंट) में कठिनाइयों का कारण बनते हैं?*

- [x] 1. कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण पहले जैसा प्रदर्शन न कर पाना
- [ ] 2. पाठ्यक्रम में शैक्षणिक समय-सीमा का प्रबंधन करने की क्षमता न होना/पीछे रह जाना
- [ ] 3. सामाजिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने के कारण सामाजिक रूप से सामंजस्य न हो पाना
- [ ] 4. अन्य फैकल्टी से भेदभाव/उत्पीड़न का अनुभव
- [ ] 5. छात्रों से बदमाशी, रैगिंग या सामाजिक भेदभाव का अनुभव
- [ ] 6. व्यक्तिगत कारण जैसे स्वास्थ्य या रिश्ते संबंधी समस्याएँ
- [ ] 7. परिसर के बाहर रहने की व्यवस्था के कारण होने वाली समस्याएँ
- [ ] 8. सेमेस्टर प्रणाली से तालमेल के लिए संघर्ष करना
- [ ] 9. अतिरिक्त पाठ्यक्रमों का प्रबंधन करने में कठिनाई होना
- [ ] 10. शैक्षणिक दबाव से निपटने के लिए सीमित मानसिक सहनशक्ति
- [x] 11. वित्तीय कठिनाइयाँ
- [x] 12. अच्छा प्रदर्शन करने के लिए यथोचित पर्याप्त क्षमता/कौशल-सेट का न होना
- [ ] 13. छात्रों द्वारा अपनी प्रदर्शन क्षमताओं का अति-आकलन
- [x] 14. सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव
- [ ] 15. छात्रों की आकांक्षाओं और क्षमता के बीच का अंतर
- [ ] 16. कोई अन्य

15. आपके अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-से प्रमुख कारण छात्रों के सामंजस्य (एडजस्टमेंट) में कठिनाइयों का कारण बनते हैं?*

1,11,12,14

Previous Next

आपका सर्वे नंबर है: 22743392

24%

खंड I | खंड II | खंड III | खंड IV | खंड V | खंड VI

खंड III: विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों से आने वाले छात्रों के लिए सहायता – आपके विचार

16. आपके अनुसार, आम तौर पर छात्रों के लिए कैंपस का माहौल कितना सहयोगी है?*

- ◉ बहुत सहयोगात्मक
- ○ कुछ हद तक सहयोगात्मक
- ○ न तो सहयोगात्मक, न ही असहयोगात्मक
- ○ कुछ हद तक असहयोगात्मक
- ○ बहुत असयोगात्मक

17. क्या सामान्य श्रेणी के छात्र और आरक्षित श्रेणी के छात्र संस्थान के प्रशासन से समान स्तर की सहायता का अनुभव करते हैं?*

- ◉ काफी हद तक समान
- ○ कुछ हद तक समान
- ○ अनिश्चित
- ○ कुछ हद तक भिन्न
- ○ बहुत भिन्न

18. क्या सामान्य श्रेणी के छात्र और आरक्षित श्रेणी के छात्र सामान्य रूप से शिक्षकों से समान स्तर की सहायता का अनुभव करते हैं?*

- ◉ काफी हद तक समान
- ○ कुछ हद तक समान
- ○ अनिश्चित
- ○ कुछ हद तक भिन्न
- ○ बहुत भिन्न

19. आरक्षित श्रेणी के छात्र किस हद तक सामान्य श्रेणी के छात्रों से सहायता का अनुभव करते हैं?*

- ◉ काफी हद तक
- ○ कुछ हद तक
- ○ अनिश्चित
- ○ थोड़ी हद तक
- ○ मुश्किल से

20. आप विभिन्न पृष्ठभूमियों के छात्रों के बीच किस हद तक सामाजिक मेलजोल देखते हैं?*

- ○ काफी हद तक
- ◉ कुछ हद तक
- ○ अनिश्चित
- ○ थोड़ी हद तक
- ○ मुश्किल से

21. कैंपस में समावेशन, भेदभाव और सहयोग के बारे में आपके विचार

(a). धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को इस परिसर में भेदभाव का सामना करना पड़ता है।*

- ○ पूरी तरह सहमत
- ○ सहमत
- ○ तटस्थ
- ◉ असहमत
- ○ पूरी तरह असहमत

(b). ट्रांसजेंडर और नॉन-बाइनरी छात्रों को कक्षा या परिसर में बहिष्कार या असंवेदनशील व्यवहार का सामना करना पड़ता है।*

- ○ पूरी तरह सहमत
- ○ सहमत
- ○ तटस्थ
- ◉ असहमत
- ○ पूरी तरह असहमत

(c). महिला छात्रों को शैक्षणिक और सामाजिक परिवेश में पुरुष छात्रों की तुलना में अधिक जांच या प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है।*

- ○ पूरी तरह सहमत
- ○ सहमत
- ○ तटस्थ
- ○ असहमत
- ◉ पूरी तरह असहमत

(d). वंचित समूहों के छात्र आलोचना या निंदा के डर से सहायता लेने में संकोच करते हैं।*

- ○ पूरी तरह सहमत
- ○ सहमत
- ○ तटस्थ
- ◉ असहमत
- ○ पूरी तरह असहमत

(e). वंचित सामाजिक समूहों से संबंधित शिक्षकों को सहकर्मियों या संस्थागत अधिकारियों से भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता है।*

- ○ पूरी तरह सहमत
- ○ सहमत
- ○ तटस्थ
- ◉ असहमत
- ○ पूरी तरह असहमत

(f). वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले शिक्षक आलोचना, बहिष्कार या सहकर्मियों द्वारा दरकिनार किये जाने के डर से संस्थागत सहायता लेने से बचते हैं।*

- ○ पूरी तरह सहमत
- ○ सहमत
- ○ तटस्थ
- ◉ असहमत
- ○ पूरी तरह असहमत

(g). प्रशासन छात्रों के लिए अपने मुद्दों को साझा करने के लिए उदार और उपलब्ध है।*

- ○ पूरी तरह सहमत
- ◉ सहमत
- ○ तटस्थ
- ○ असहमत
- ○ पूरी तरह असहमत

(h). प्रशासनिक कर्मचारी छात्रों की समस्याएं सुलझाने के लिए उपलब्ध हैं तथा छात्रों के साथ सम्मान और सहानुभूति के साथ व्यवहार करते हैं।*

- ○ पूरी तरह सहमत
- ◉ सहमत
- ○ तटस्थ
- ○ असहमत
- ○ पूरी तरह असहमत

(i). प्रशासनिक कर्मचारी आमतौर पर संपर्क किए जाने पर छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं।*

- ◉ पूरी तरह सहमत
- ○ सहमत
- ○ तटस्थ
- ○ असहमत
- ○ पूरी तरह असहमत

(j). छात्रों की शिकायतों पर समय पर प्रशासनिक कार्रवाई होती है।*

- ○ पूरी तरह सहमत
- ◉ सहमत
- ○ तटस्थ
- ○ असहमत
- ○ पूरी तरह असहमत

(k). छात्र कल्याण संबंधी मुद्दों का समाधान करते समय प्रशासन सक्रिय रूप से फैकल्टी (शिक्षकगणों) से इनपुट मांगता है।*

- [x] पूरी तरह सहमत
- [ ] सहमत
- [ ] तटस्थ
- [ ] असहमत
- [ ] पूरी तरह असहमत

(l). प्रशासन सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित समुदायों के छात्रों की चुनौतियों के प्रति संवेदनशील है।*

- [ ] पूरी तरह सहमत
- [x] सहमत
- [ ] तटस्थ
- [ ] असहमत
- [ ] पूरी तरह असहमत

विभिन्न संस्थागत-स्तरीय प्रकोष्ठों द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्र सहायता संबंधी संकाय दृष्टिकोण

22. क्या आप अपने संस्थान के विभिन्न छात्र सहायता प्रकोष्ठों (जैसे, आईसीसी, रैगिंग-रोधी प्रकोष्ठ, समान अवसर प्रकोष्ठ, एससी/एसटी प्रकोष्ठ, महिला विकास प्रकोष्ठ, परामर्श प्रकोष्ठ, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, सक्षम इकाई आदि) के बारे में जानते हैं?*

- [x] हाँ
- [ ] नहीं
- [ ] निश्चित नहीं

23. जिन छात्रों को संस्थागत सहायता की आवश्यकता है, उन्हें सही प्रकोष्ठ में भेजने की प्रशासनिक प्रक्रिया/प्रोटोकॉल की जानकारी शिक्षकों को है।*

- [x] हाँ
- [ ] नहीं
- [ ] निश्चित नहीं

24. आपकी राय में, निम्नलिखित प्रकोष्ठ (cells) किस हद तक वंचित छात्रों की ज़रूरतों का प्रभावी ढंग से समाधान करते हैं?

(a). आईसीसी (इंटरनल कम्प्लेंट्स कमिटी)*

- [x] काफी हद तक
- [ ] कुछ हद तक
- [ ] निश्चित नहीं
- [ ] थोड़ी हद तक
- [ ] बिल्कुल नहीं

(b). रैगिंग-रोधी सेल (एंटी रैगिंग सेल)*

- [x] काफी हद तक
- [ ] कुछ हद तक
- [ ] निश्चित नहीं
- [ ] थोड़ी हद तक
- [ ] बिल्कुल नहीं

(c). समान अवसर सेल (इक्वल ओपोर्चुनटीस सेल)*

- [ ] काफी हद तक
- [ ] कुछ हद तक
- [ ] निश्चित नहीं
- [x] थोड़ी हद तक
- [ ] बिल्कुल नहीं

(d). एससी/एसटी सेल*

- [x] काफी हद तक
- [ ] कुछ हद तक
- [ ] निश्चित नहीं
- [ ] थोड़ी हद तक
- [ ] बिल्कुल नहीं

(e). महिला विकास सेल*

- ◉ काफी हद तक
- ○ कुछ हद तक
- ○ निश्चित नहीं
- ○ थोड़ी हद तक
- ○ बिल्कुल नहीं

(f). परामर्श सेल (काउंसलिंग सेल)*

- ◉ काफी हद तक
- ○ कुछ हद तक
- ○ निश्चित नहीं
- ○ थोड़ी हद तक
- ○ बिल्कुल नहीं

(g). प्लेसमेंट सेल*

- ◉ काफी हद तक
- ○ कुछ हद तक
- ○ निश्चित नहीं
- ○ थोड़ी हद तक
- ○ बिल्कुल नहीं

(h). सक्षम यूनिट (इनेबलिंग यूनिट)*

- ◉ काफी हद तक
- ○ कुछ हद तक
- ○ निश्चित नहीं
- ○ थोड़ी हद तक
- ○ बिल्कुल नहीं

25. क्या आपने कभी किसी छात्र को किसी संस्थागत सहायता प्रकोष्ठ में भेजा है?*

- ◉ हाँ
- ○ नहीं
- ○ लागू नहीं

---

26. जब छात्र किसी चुनौती का सामना करते हैं तो उन्हें संबंधित संस्थागत प्रकोष्ठ से संपर्क करने के लिए मार्गदर्शन करने में आप कितना सहज महसूस करते हैं?*

- ◉ बहुत सहज
- ○ कुछ हद तक सहज
- ○ निश्चित नहीं
- ○ बहुत सहज नहीं
- ○ बिल्कुल सहज नहीं

---

27. संस्थागत सहायता प्रकोष्ठ अपनी पहलों और सेवाओं की जानकारी शिक्षकों को कितनी अच्छी तरह देते हैं?*

- ◉ बहुत अच्छी तरह
- ○ पर्याप्त रूप से
- ○ न्यूनतम रूप से
- ○ खराब ढंग से
- ○ बिल्कुल नहीं

---

28. क्या आप मानते हैं कि संस्थागत सहायता प्रकोष्ठों में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी और संसाधन हैं?*

- ○ हाँ
- ◉ नहीं
- ○ निश्चित नहीं

28. क्या आप मानते हैं कि संस्थागत सहायता प्रकोष्ठों में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी और संसाधन हैं?*

- ○ हाँ
- ◉ नहीं
- ○ निश्चित नहीं

---

29. कुल मिलाकर, आपकी राय में इस संस्थान में आरक्षित वर्ग के छात्रों के बारे में सामान्य वर्ग के छात्रों की क्या धारणाएँ हैं? *

कृपया सामान्य वर्ग के छात्रों की धारणाओं के बारे में अपनी समझ को चिह्नित करें।

(a). आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया आसान मानी जाती है, जिसे सामान्य वर्ग के छात्र अनुचित मानते हैं।*

- ◉ पूरी तरह सही
- ○ कुछ हद तक सही
- ○ थोड़ा बहुत सही
- ○ बिलकुल भी सही नहीं
- ○ निश्चित नहीं / पक्का नहीं कह सकते

(b). सामान्य वर्ग के कई छात्र मानते हैं कि आरक्षित वर्ग के अधिकांश छात्र पाठ्यक्रम को संतोषजनक रूप से पूरा करने में कम सक्षम होते हैं।*

- ○ पूरी तरह सही
- ○ कुछ हद तक सही
- ○ थोड़ा बहुत सही
- ◉ बिलकुल भी सही नहीं
- ○ निश्चित नहीं / पक्का नहीं कह सकते

(c). सामान्य वर्ग के छात्र नहीं मानते की आरक्षित वर्ग के छात्रों को उनके संस्थान का हिस्सा होने का हक़ है *

- ○ पूरी तरह सही
- ○ कुछ हद तक सही
- ○ थोड़ा बहुत सही
- ◉ बिलकुल भी सही नहीं
- ○ निश्चित नहीं / पक्का नहीं कह सकते

(d). सामान्य वर्ग के छात्र आरक्षित वर्ग के छात्रों को कैंपस में सामाजिक रूप से अनुपयुक्त मानते हैं।*

- ○ पूरी तरह सही
- ○ कुछ हद तक सही
- ○ थोड़ा बहुत सही
- ◉ बिलकुल भी सही नहीं
- ○ निश्चित नहीं / पक्का नहीं कह सकते

(e). कोई अन्य

[कृपया 100 शब्दों से कम में उत्तर दें।]

30. कुल मिलाकर, आपकी राय में इस संस्थान में सामान्य श्रेणी के छात्रों के बारे में आरक्षित श्रेणी के छात्रों की क्या धारणाएँ हैं?

(a). सामान्य वर्ग के छात्र, उनके आर्थिक या सामाजिक संसाधनों की वजह से ज़्यादा फायदे में रहते हैं - ऐसा माना जाता है*

- ○ पूरी तरह सही
- ○ कुछ हद तक सही
- ○ थोड़ा बहुत सही
- ● बिलकुल भी सही नहीं
- ○ निश्चित नहीं / पक्का नहीं कह सकते

(b). आरक्षित श्रेणी के छात्रों को लगता है कि सामान्य श्रेणी के छात्र श्रेष्ठता जतलाते हैं ।*

- ○ पूरी तरह सही
- ○ कुछ हद तक सही
- ○ थोड़ा बहुत सही
- ● बिलकुल भी सही नहीं
- ○ निश्चित नहीं / पक्का नहीं कह सकते

(c). आरक्षित श्रेणी के छात्रों को लगता है कि सामान्य श्रेणी के छात्र उन्हें संस्थान में होने के हक़दार नहीं मानते हैं।*

- ○ पूरी तरह सही
- ○ कुछ हद तक सही
- ○ थोड़ा बहुत सही
- ● बिलकुल भी सही नहीं
- ○ निश्चित नहीं / पक्का नहीं कह सकते

(d). आरक्षित वर्ग के छात्रों को लगता है की सामान्य वर्ग के छात्र उन्हें कैंपस में सामाजिक रूप से अनुपयुक्त मानते हैं।*

- ○ पूरी तरह सही
- ○ कुछ हद तक सही
- ○ थोड़ा बहुत सही
- ● बिलकुल भी सही नहीं
- ○ निश्चित नहीं / पक्का नहीं कह सकते

(e). कोई अन्य

[कृपया 100 शब्दों से कम में उत्तर दें।]

Previous Next

खंड I | खंड II | खंड III | **खंड IV** | खंड V | खंड VI

खंड IV: छात्रों को सहायता करने में शिक्षकों द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियाँ

31. आपके कॉलेज में जब छात्र किसी तनाव या परेशानी में होते हैं, तो उनकी मदद करने में शिक्षकों को इन में से कौन कौन सी मुख्य कठिनाइयाँ आती हैं? *

[कृपया सभी लागू विकल्पों पर निशान लगाएँ]

- [ ] 1. शिक्षण संबंधी दबाव और व्यस्तता
- [ ] 2. अन्य शिक्षक सहकर्मियों से दबाव
- [x] 3. छात्र-समूहों से दबाव
- [ ] 4. प्रशासन से दबाव
- [ ] 5. प्रशासन से सक्रिय सहायता की कमी
- [ ] 6. मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए छात्रों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशीलता की कमी
- [ ] 7. परेशान / तनावग्रस्त छात्रों की मानसिक-सामाजिक सहायता करना शिक्षकों का काम नहीं माना जाना
- [ ] 8. छात्रों के समूहों के प्रति शिक्षकों का क्रोध एवं आक्रामकता
- [x] 9. छात्रों की मानसिक परेशानी पहचानने में शिक्षकों में ट्रेनिंग की कमी होना
- [x] मानसिक परेशानी / संकट से गुज़र रहे छात्रों को बुनियादी सहायता देने के लिए शिक्षकों में ट्रेनिंग की कमी
- [ ] 11. कोई अन्य

32. कृपया पिछले चेकलिस्ट में से शीर्ष 4 कारणों का उल्लेख करें*

(कृपया केवल चेकलिस्ट में दिए गए क्रमांक लिखें)

3,9,10

Previous | Next

87%

खंड I | खंड II | खंड III | खंड IV | **खंड V** | खंड VI

खंड V: सुझाव

33. आपके अनुसार आपके संस्थान में सभी छात्रों को बेहतर सहायता मिले, इसके लिए कौन-कौन से कदम फायदेमंद हो सकते हैं? *

[अधिकतम पाँच उपाय लिखें]

[कृपया 200 शब्दों से कम में उत्तर दें।]

1. काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ

Previous | Next

खंड I | खंड II | खंड III | खंड IV | खंड V | **खंड VI**

खंड VI: प्रकोष्ठों/समितियों (cells/committees) के प्रभारी शिक्षकों का दृष्टिकोण

34. कृपया उस सेल का नाम बताएँ जिसके आप प्रभारी हैं*

[अधिकतम 20 शब्द]

Psychological Counselling, Guidance Cell & Research Center

35. प्रकोष्ठ के प्रभारी शिक्षक के रूप में मुझे अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों की स्पष्ट समझ है।*

- (●) पूरी तरह से सहमत
- ( ) सहमत
- ( ) न सहमत न असहमत
- ( ) असहमत
- ( ) पूरी तरह से असहमत

36. मुझे अपने प्रकोष्ठ (cell) की ज़िम्मेदारियों से संबंधित अपडेट / ट्रेनिंग नियमित रूप से मिलते हैं।।*

- ( ) बहुत बार
- ( ) कभी-कभी
- ( ) शायद ही कभी
- (●) कभी नहीं

37. प्रकोष्ठ (cell) से संबंधित मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों के प्रति प्रशासन प्रतिक्रियाशील/संवेदनशील है।*

- ( ) काफी हद तक
- (●) कुछ हद तक
- ( ) अनिश्चित
- ( ) थोड़ी हद तक
- ( ) बिल्कुल नहीं

38. संस्थागत नेतृत्व (जैसे, प्रिंसिपल, डीन, वीसी) हमारे प्रकोष्ठ के उद्देश्यों और कामकाज में सहायता करते हैं।*

- (●) पूरी तरह से सहमत
- ( ) सहमत
- ( ) न सहमत न असहमत
- ( ) असहमत
- ( ) पूरी तरह से असहमत

---

39. छात्र अपने मुद्दों/ समस्याओं के लिए प्रकोष्ठ से संपर्क करने में सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं।*

- (●) पूरी तरह से सहमत
- ( ) सहमत
- ( ) न सहमत न असहमत
- ( ) असहमत
- ( ) पूरी तरह से असहमत

---

40. छात्रों या शिक्षकों को जाति-आधारित या लिंग-आधारित भेदभाव की रिपोर्ट करने और उसका समाधान करने के लिए संस्थान द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है |*

- ( ) पूरी तरह से सहमत
- (●) सहमत
- ( ) न सहमत न असहमत
- ( ) असहमत
- ( ) पूरी तरह से असहमत

---

41. क्या संस्था छात्रों से सहायता सेवाओं पर उनकी राय जानने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है?*

- (●) हाँ
- ( ) नहीं
- ( ) निश्चित नहीं

42. प्रकोष्ठ (cell) को ठीक से चलाने में आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ कौन-कौन सी हैं?*

[नीचे दिए गए सभी लागू विकल्प चुनें

- [x] अपर्याप्त उपलब्ध धनराशि या बजट
- [ ] आवश्यक चीज़ों/संसाधनों (कमरा, साइनेज, सामान इत्यादि) की कमी
- [x] गतिविधियों में छात्रों को शामिल करने में कठिनाई
- [ ] अपर्याप्त प्रशासनिक या संस्थागत सहायता
- [x] प्रकोष्ठ (cell) के शिक्षकों की ट्रेनिंग की कमी और सीमित भागीदारी
- [x] समय की कमी एवं अधिक कार्यभार
- [ ] अन्य (कृपया बताएं)

Previous | Final Submit

40. छात्रों या शिक्षकों को जाति-आधारित या लिंग-आधारित भेदभाव की रिपोर्ट करने और उसका समाधान करने के लिए संस्थान द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है।*

- ○ पूरी तरह से सहमत
- ◉ सहमत
- ○ न सहमत न असहमत
- ○ असहमत
- ○ पूरी तरह से असहमत

41. क्या सं

- ◉ हाँ
- ○ नहीं
- ○ निश्चित न

यदि आप तनाव का अनुभव कर रहे हैं

तो कृपया अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ सहायता लेने में संकोच न करें।

मदद मांगना **ताकत** का संकेत है, कमज़ोरी का नहीं।

टेलीमैनस टोल फ्री नंबर: **14416**
(मानसिक कल्याण के लिए 24/7 टेली-सहायता)

इस सर्वेक्षण का जवाब देने के लिए धन्यवाद।

OK

42. प्रकोष्ठ (

[नीचे दिए गए

- ☑ अपर्याप्त
- ☐ आवश्यक चीज़ों/संसाधनों (कमरा, साइनेज, सामान इत्यादि) की कमी
- ☑ गतिविधियों में छात्रों को शामिल करने में कठिनाई
- ☐ अपर्याप्त प्रशासनिक या संस्थागत सहायता
- ☑ प्रकोष्ठ (cell) के शिक्षकों की ट्रेनिंग की कमी और सीमित भागीदारी
- ☑ समय की कमी एवं अधिक कार्यभार
- ☐ अन्य (कृपया बताएं)